

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारीख.....जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 49/2019-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
<p>17.8.19</p>	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 562/रा० दिनांक 14.08.2019 के द्वारा मौजा- भीटी, न०-02 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- भीटी, न०-02 में दिनांक 15.07.2019 को श्रीमति सबिना हेम्ब्रम, मुखिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मो० अख्तर, पिता-स्व० पीर मोहम्मद, ग्राम- भीटी, को मौजा- भीटी, न०-02 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- भीटी, न०-02 के प्रधान बहाली हेतु ग्राम भीएवं ग्राम बडा हरिणकोल में संयुक्त रूप से ग्राम सभा की गई। ग्राम सभा में 16 आना रैयतो द्वारा मौजा भीटी न० 02 के प्रधानी पद पर उक्त मौजा के जमाबंदी रैयत के वंशज मो० अख्तर, पिता-स्व० पीर मोहम्मद, ग्राम-भीटी, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>उक्त मौजा पूर्व में बेचिरागी मौजा था। वर्तमान में मौजा प्रधानी वो चिरागी मौजा है। मौजा भीटी न० 02 के 16 आना रैयतो द्वारा अलग से आम सभा कर प्रधान नियुक्ति हेतु मो० अख्तर को समर्थन दिया गया है। आवेदक प्रधानी कार्य करने में समर्थ है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक मो० अख्तर को मौजा- भीटी, थाना न०-02 में संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p>424/20 31.8.19</p>

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।